

24.8.16 → पत्रावली पेशा हुई। वकील कापी डी शॉलेर डुबारा
ऑन के पेशा की। रिपोर्ट सारिस्ता देवी गई। प्रकरण दर्ज
रजिस्टर होकर नोरिस जारी हो। मिसल दिनांक
13.9.16 को पेशा हो।

97
SDO Sarwah

19.9.16 → पत्रावली पेशा हुई। वकील कापी डी शॉलेर। वास्तु जवाब मिसल
दिनांक 18.10.16 को पेशा हो।

SDO Sarwah

18.10.16 → पत्रावली पेशा हुई। वकील कापी डी शॉलेर। वास्तु जवाब
मिसल दिनांक 21.11.16 को पेशा हो।

97
SDO Sarwah

21.11.16 → पत्रावली पेशा हुई। वकील कापी डी शॉलेर। वास्तु जवाब मिसल
दिनांक 8.12.16 को पेशा हो।

97

SDO Sarwah

पुनिश्चय → इतना लिखने पर वकील प्रतिक्रिया के पुल. बताया

कि बहस के लिए तैयार है, तथा वादी के पक्ष में
स्थापी निवेद्याशा प्रदान करने में हमें कोई आपत्ति
नहीं है, हमने पत्रावली का क्लोजन किया। ग्राम

सखार की ~~जमापंडी~~ टारोटी की जमापंडी संवत्

2069-72 खारा सं. नया -पुरावा 547-559 सं. नं.

246/3 रकबा 00-08-00 तथा खसरा नं. 247/1 रकबा

01-09-00 बीघा किला 2 रकबा 01-17-00 बीघा, इस अकाशी

के मूल नम्बर 246, 247 है, वादी एवं सखारदारों के मध्य

बदला हो चुका है जिसका नम्बर सं. 2173 दिनांक 21.01.13

शरदा

लोड

से उम्ह वार्डन मारानी जरिये विभाजन के काडी के माफ हो
 चुकी है तथा काडी के कब्जे करत से चली आ रही है।
 अतः सहिकाडी 19.2 उनके अधिनस्थ मसायरीन कारिसान
 रिशेदार अमर, मित्रगण, दिलीप, एवं सुरेश्वर राम रत्यादि
 से जरिये स्थायी निबंधासा एक्ट डिमा जाते डि काफ वार्डन
 मारानी से काडी के कब्जे करत साबित हो डिरी तकर
 से काधा उत्पन्न नहीं है।

सहिकाडी के कब्जे का फेई साबित नहीं
 है अतः सहिकाडी से 19.2 से जरिये स्थायी निबंधासा
 माफ किया जाता है डि माफना तब से वार्डन राम
 लाली से अपाई से 2009-22 खता से म्या सुमा
 547-529 ए. नं. 247/1 तका 1-09-50 कीका व 246/3
 तका 00-08-50 कीका के काडी के कब्जे करत से काधा
 उत्पन्न नहीं है, डि डि पर्या जारी है, खर्चा कमिशन
 अपना अपना वहन है।

निर्णय सुले न्यायालय से सुनाया

गया



97
 S. D. S. S. S.
 उपरखंड अधिकारी
 सरगड (अजमेर)